P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गिरता लिंगानुपात – महिला अस्तित्व पर खतरा (बागपत जिले के विशेष सन्दर्भ में)

योग्यता शाक्य
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर, म.प्र

सारांश

जनसंख्या अध्ययन में किसी देश की जनसंख्या में लिंगानुपात के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लिंगानुपात का अर्थ है किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरूषों का सघटन है। विवाह या सन्तानोंत्पादकता के माध्यम से लिंगानुपात अनुपात देश की श्रम शक्ति को प्रभावित करता है। लिंगानुपात किसी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक होता है और स्थानिक भिन्नता के विष्लेषण में एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करता है।[1]

लिंगानुपात का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव विभिन्न जनांकिकीय तथ्यों तथा प्रजनन दर, मृत्यूदर, जनसंख्या परिवर्तन, व्यवसायिक संरचना आदि पर होता है।[2]

मुख्य शब्द :

प्रस्तावना

भारत की जनसख्या संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना पुरूषों की संख्या अधिक है; अर्थात भारतीय जनसंख्या पुरूष बहुल है। यह विष्वव्यापी स्थिति के विपरीत है। 20 वी0 शताव्दी के प्रारम्भ 1901 में प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की सख्या 972 थी तब से निरन्तर लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृति जारी है। जिसमें मात्र सन् 1981 और 2001 जनगणना अपवाद है। जनगणना सन् 1941 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूष 945 स्त्रियाँ थी जो सन् 1951 तक 906 रहा। सन् 1961 एवं 1971 में लिंगानुपात क्रम 941 और 930 था। वर्ष 1981में 4 अंकों की वृद्धि के साथ 934 हो गया किन्तु अगले दशक में इसमें 7 अको की कमी होने पर सन् 1991 में 927 पर पहुच गया।[3]

लिगांनुपात की समस्या कोई एकदम से पैदा हुई समस्या नहीं है इसके बीज तो नारी की गिरती हुई प्रतिष्ठा के साथ प्राचीन काल में ही पड़ गये थे। प्रकृति ने महिलाओं को उदार व कोमल बनाया जिसके कारण पुरूष ने महिला को संरक्षण दिया परन्तु समय के साथ धीरे –धीरे पुरूष का दिया सरंक्षण महिलाओं पर पांबदी बन गया '' प्राचीन समय में कन्या का भी बालको के समान उपनयन संस्कार किया जाता था।''[4] परन्तु धीरे–धीरे शिक्षा बस कुलीन परिवारो की महिलाओं तक सीमित रह गयी। हम सभी जानते है, तब महिला ने स्वम् को परिवार तक सीमित कर लिया तो वह अपनी आवश्यकताओं के लिये पुरूष पर आश्रित हो गयी। पुरूष ने उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण तो किया पर स्त्री की स्वतन्त्रता को छीन लिया और उसे पूर्णतः अपनी षरण में ले लिया। जिसका उल्लेख मनुस्मृति के इस श्लोक में भी किया गया है –

''यत्र नारियस्तु पूजंते, रमंते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूजंते सर्वासत्रेफले किया। पिता रक्षिति कौमार्य भार्ता रक्षिति योवने रक्षति स्थवरे पुत्रः न स्त्री स्वंतत्र मर्हियाति।।''[5]

उक्त श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री स्वतन्त्र नहीं रह सकती। जब स्त्री स्वतन्त्र न रही तो उसके सभी फैसलों में पुरूष अर्थात उसके संरक्षक की स्वीकृति अनिर्वाय हो गयी। कन्या को जन्म देने का फैसला भी उसका अकेले का फैसला नहीं रह गया। कन्या के विवाह में जब दहेज का रिवाज बडा तो बेटी माता पिता को बोझ लगने लगी। कन्या को जन्म देने वाली माताओं को प्रताणित किया जाने लगा जिससे महिलाओं के मन में कन्या जन्म को लेकर उदासीनता आयी।

सदियों से कन्या भ्रूण हत्या का कार्य समाज मे एक मौन स्वीकृति से चला आ रहा है। 1974 में वैज्ञानिक एव तकनीक विकास ने जनसामान्य के लिए गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच करना आसान कर दिया। उस समय मे सोनोग्राफी की मशीन प्रचलन मे आ गयी थी। भारतीय सरकार के द्वारा लिंग परिक्षण का कोई विरोध दर्ज नही किया गया क्योंकि भारत सरकार को यह

जनसंख्या कम करने का एक कारगर उपाय लगा। परिणामतः लिंग का चयन कर लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या कर सामाजिक ताने–बाने को ही विक्षत कर दिया।

21वीं सदी के इस भारत ने निन्तर कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की। गिरता लिंगानुपात मानव सभ्यता पर वह खतरा है जो मानव जाति को समूल नष्ट कर देगा। मानव विज्ञान और तकनीक के विकास के उपयोग से स्वयम् का ही दुश्मन बन बैठा है। विज्ञान का यह दुरूपयोग आत्मघाती सिद्व हो रहा है। सन् 1795 बंगाल रेग्यूलेशिन एक्ट – 21 के अन्तर्गत शिशु वध को हत्या के समान माना गाया था इस कानून के निर्माण के बाद भी शिशु वध होते रहे। 19वीं षताब्दी मे भी कुछ कानूनों का निर्माण हुआ परन्तु ये कुप्रथा समाज मे चलती रही।

लिंग निर्धारण के तकनीक का प्रयोग सन् 1970 से 1980 के दशक मे प्रारम्भ हुआ और यह नारा दिया गया कि '' लड़की है तो 500 रूपये खर्च करो और 5 लाख बचाओ''। आज केवल पंजाब में ही 1000 से अधिक संख्या में अल्ट्रासाउण्ड चिकित्सालय मौजूद हैं।[6]

अगर सन् 1978 से 1982 के आकडे देखे तो पता चलता है की सन् 1978 से 1982 के मध्य 78,000 कन्या लिंग को समाप्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मे तो सन् 1984 मे मुम्बई शहर मे अकेले ही 40,000 कन्या भ्रूण को समाप्त करने की पुष्टि हुई थी।[7]

सरकारी संगठनो के आकलनों के अनुसार प्रत्येक 1000 महिलाओं में से 260 से 400 तक महिलाएँ गर्भपात कराती है। सामान्यतया यह माना गया है कि 1 वैध गर्भपात हो सके इसके लिये 10 से 12 अवैध गर्भपात होते हैं। इस बारे मे विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1996 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी जिसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 50,000 अवैध गर्भपात होते है। इण्डियन मेडिकल ऐसोशिएशन ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये कहा है कि वास्तविकता से परे सरकार मानती है कि प्रतिवर्ष केवल 107 कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं।[8]

स्नेहा लता टंडन और रेणु षर्मा (2006) ने भारत में कन्या भ्रूर्णहत्या और भ्रूर्ण हत्या; एक विष्लेषण बालिकाओं के खिलाफ अपराध में सैदांतिक रूप से कन्या भ्रूर्ण हत्या और भ्रूर्ण हत्या के परिणामो का विष्लेषण किया है। कन्या भ्रूर्ण हत्या सभी जातियों,वर्ग समुदायों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना बन गयी है। आधूनिक चिकित्सा के अमीनोसेनेसिस तथा अल्ट्रा सोनोग्राफी को मूलत; इसलिये बनाया गया था जिससे भ्रूर्ण मे आयी जन्मजात असामान्यताओ को जाना जा सके परन्तु इसका दुरूउपयोग हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि गर्भपात आसानी से किये जाने लगे।[9]

डी आर कविता कोरिया (2013), समाज में महिलाओ के खिलाफ हो रहे भेदभाव में सबसे जघन्य, कन्या भ्रूर्ण को मानते है। इस ष्शोध –पत्र में कन्या भ्रूर्ण हत्या पर षैक्षिक कार्यक्रम रखा गया। जिसका विषय था कन्या भ्रूर्ण हत्या क्यो है? इसमें ग्यारवी कक्षा से 120 विघ्यार्थि (60लडके और 60लडकीयां) का नमूना लिया गया और प्राप्त परिणाम का विध्यार्थि विचलन तथा टी मूल्य प्राप्त की गयी इस परीक्षण से आये परिणाम मे लडको व लडकियों के प्रथम व द्वितीय प्राप्त अंको मे अन्तर देखा गया।[10]

डॉ लक्ष्मी देवी यब्रा, (2018) इस आधुनिक युग में कन्या भ्रूर्ण के मामलो में लगातार वृद्धि हो रही है सम्पूर्ण इतिहास मे महिलाओ स्थिति समाज में, भेदभाव पूर्ण व अन्यायपूर्ण रही है अन्तर केवल समाजो मे आया महिला स्थिति मे नही। कई कारणो से कन्या को जन्म लेने का अधिकार नही है। इसका एक कारण उन्होने दहेज को बताया है। भारत तथा अन्य एषियाई देशो मे भ्रूर्ण के लिंग पता लगाने के लिये आधुनिक चिकित्सा का प्रयोग हो रहा है। यह शोध –पत्र द्वितीयक आकडों पर आधारित है। कन्या भ्रूर्ण हत्या का तुलनात्मक अध्ययन (ग्रमीण व षहरी) क्षेत्रो, कन्या भ्रूर्ण की रोकथामके उपाय व सामाजिक बुराई को खत्म करने के सुझावों पर चर्चा की गयी है।[11]

उद्देश्य का उद्देश्य

बागपत जिले की वर्ष 2001 व 2011 की जनगणना के 0–6 वर्ष के लिंगानुपात का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन तथा कन्या भ्रण हत्या व प्रसवोपरान्त शिशु हत्या से सम्बन्धित विधिक उपवंधों का अध्ययन।

परिकल्पना

बागापत जिले की वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की जनगणना मे 0–6 लिंग अनुपात के गिरते स्तर में सुधार हुआ है।

अध्ययन की सीमा

प्रस्तुत अध्ययन मे केवल बागपत जिले की वर्ष 2001 की व वर्ष 2011 की जनगणना का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक समकों पर आधारित विष्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक उद्योग की तरह फल– फूल रहा है यदि अध्ययन कीया जाये तो भारत में कन्या भ्रूण हत्या का उद्योग 450 करोडके लग–भग होगा। प्रतिवर्ष 1करोड 2 के आस – पास लाख गर्भपात होते हैं। जिसमे से 67 लाख गर्भपात कन्या भ्रूण की हत्या के लिये कराये जाते हैं।

कन्या भ्रण हत्या – बागपत जिले के विशेष संदर्भ में

उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बडी आबादी बाला राज्य है। बागपत उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या 9,58,31,831 इस पर पुरूष जनसंख्या 10,44,80,510 है जिसमें 0–6 लिंग बालिका अनुपात 1,46,05,750 है और बालक 1,61,85,581 है। आज 1000 पुरूषों पर 912 महिलायें हैं, परन्तु राज्य में जंनसख्या के हिसाब से आर्थिक व शैक्षिक स्तर उच्च नहीं हो पाया है यहाँ साक्षरता का स्तर 77.28 प्रतिशत है यहाँ स्त्री शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है स्त्री साक्षरता 51.36 प्रतिशत है। इसलिये यहाँ का समाज बहुत सी रूढ़िवादिताओ से ग्रसित समाज है यहॉ महिलाये पुरूषवादी मानसिकता से पूर्ण रूप से प्रभावित है।[12]

बागपत में 78.89 प्रतिशत जनता गाँव में निवास करती है 21.11 प्रतिशत ही शहरी है। वर्ष 2001 के

अनुसार पुरूष बाललिंग (0–6 आयु) आबादी 110,923 तथा महिला बाललिंग आबादी 94,331 थी। जो वर्ष 2011 में पुरूष बाल लिंग 105,924 और महिला बाल लिंग 89,055 हो गया है। अगर प्रतिशत में देखे तो पुरूष बाल लिंग 54.325 प्रतिशत तथा महिला बाल लिंग वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले 0.283 प्रतिशत की लगभग कमी आयी है इस कमी वे साथ महिला बाल लिंग 45.674 प्रतिशत है। महिला बाल लिंग बढने की जगह गिरा है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक उधोग की तरह फल– फूल रहा है यदि अध्ययन कीया जाये तो कन्या भ्रूण हत्या का उधोग 450 करोण के लग–भग होगा। प्रतिवर्ष 1 करोण 2 के आस–पास लाख गर्भपात होते है। जिसमे से 67 लाख गर्भपात कन्या भ्रूण की हत्या के लिये कराये जाते है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों मे अपनी सफलता दर्ज की है। फिर भी कन्या भ्रूण हत्या मे कोई कमी नही आई है।

कानूनी प्रावधान

यद्यपि भ्रूण हत्या व बाल हत्या रोकने के अनेक कानूनी उपाय भारत मे मोजूद है किन्तु निम्न प्रमुख अधिनियम उल्लेखनीय है जो प्रसव उपरान्त शिशु हत्या व प्रसवपूर्व गर्भपात को नियमवत करते हैः–

भारतीय दण्ड संहिता –1860

भारतीय दण्ड संहिता –1860 के अन्तर्गत वह गर्भपात जो किसी स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से कियान्वित नहीं किया जायेगा तो दण्डनीय अपराध माना जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा शिशु का जीवित जन्म लेने से रोकने या जन्म के बाद मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किया गया कोई कार्य दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।[13]

गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम–1994

यह शिशु के लिंग की जांच और कन्या हत्या का,कुछ विशेष परिस्थितियों को छोडकरपूर्ण प्रतिरोध करता है। यह अधिनियम उपबंधित करता है कि अनुवांशिक सलाहकार केन्द्र या अनुवंाशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग लिंग चयन के लिए नही करेगा।[14]

किसी भी व्यक्ति,संगठन, आनुवंाशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंाशिक प्रयोगशाला, आनुवंाशिक क्लिनिक द्वारा प्रसव पूर्व या गर्भस्थ भ्रूण के लिंग के बारे में नही बताया जायेगा।

समुचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत चिकित्सक के प्रथम बार दोषी सिद्व होने पर राज्य चिकित्सा परिषद् से 5 वर्ष के लिए उसका पंजीकरण स्थाई रूप राज्य चिकित्सा परिषद् से 5 वर्ष के लिए उसका पंजीकरण रदद् कर दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4(2) के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रसव पूर्व लिंग जाँच या प्रसव पूर्व गर्भपात कराता है तो वह प्रथम अपराध होने पर 3 वर्ष का कारावास या 50,000 रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित होगा।[15]

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम– 1994 अपराध– अजमानतीय अपराध तथा अक्षमनीय अपराध हैं।[16]

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत गर्भपात संबधी के विषय में उक्त दाण्डिक प्रावधान के होते हुए भी विभिन्न तकनीक के माध्यम से भ्रूण हत्या विषेषतौर पर लिंग परीक्षण आदि तकनीक के ज़रिये कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति निरंतर बढने के कारण एवं संबंध में भारतीय दंड़ सहिंता 1860 मे विशेष प्रावधान न होने से इस हेतु विशिष्ट विधि की आवश्कता प्रतीत होने पर "सन् 1971 मे गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम" विनिमित किया किया गया।[17]

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम–1971

यदि अधिनियम के उल्लधंन में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भ समापन किया गया हो अथवा अनुमत स्थान से भिन्न स्थान में गर्भ समापन किया गया हो तो उसे 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से दड़ित किया जा सकता हैं। जानबूझकर उल्लंघन किये जाने पर एक हजार रूपये के जुर्माने किया जा सकता है।

अंतर्गत अनुवंाशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लीनिक आदि द्वारा अल्ट्रासाउण्ड मशीन अथवा गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी विज्ञापन किये जाने पर 3 वर्ष तक के कारावास एंव 10,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा – 23 के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लघंन करने पर 3 वर्ष तक के कारावास एंव 50,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया जा सकता हैं। पंजीकृत चिकित्सक के दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का पंजीकरण निलम्बन किया जायेगा।

किसी व्यक्ति द्वारा गर्भास्य शिशु के अनुवंाशिक विकारों के अतिरिक्त यदि किसी लिंग चयन, प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग में सहायता प्रदान की जाती हैं तो प्रथम अपराध मे 3 वर्ष एंव द्वितीय अपराध मे 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 रूपये से 1,00,000 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अन्य दांडिक प्रावधान धारा– 24 व धारा – 26 के अन्तर्गत हैं।

उल्लेखनीय हैं कि दंडित प्रावधान उस महिला पर लागू नहीं होंगे, जिसे लिंग चयन के लिये मजबूर किया गया हो।[18]

न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय न्यायपालिका ने भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये कठोर दिशा– निर्देश जारी किये हैं। उच्चतम न्यायपालिका ने कहा कि राज्य सरकार सक्रिय होकर अल्ट्रासाउन्ड मशीनों के पंजीकरण का कार्य करे। न्यायालय ने इस बारे में असफल रहने वाले अधिकारियों एंव कर्मचारियों को पद से तुरन्त हटा देने की सिफारिश की है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक वाद में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के संबंध मे आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी के विरूद्ध कन्या भ्रूण हत्या के कार्य प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हो तो ऐसे कार्य करने वाले डायनोस्ट्रिक सेन्टर की अनुज्ञप्ति रद्द की जानी चाहिए।

हरियाणा के फरीदावाद जिला न्यायालय ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के सराहनीय कार्य किये है। जिला न्यायालय ने एक चिकित्सक तथा उसके सहयोगी के दोषी साबित हो जाने पर 2 वर्ष का कारावास तथा

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

5,000 रूपये के जुर्माने की राशि से दण्डित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया हैं।

विभिन्न कानूनो के बावजूद भी छोटे–बड़े षहरों, गाँव मे अमानवीय स्तर पर फलफूल रहा है। अत; भारत में शिशु लिंगानुपात और महिलाओं की स्थिति संतोषजनक भी नही हो पाई है।[19]

कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण

समाज की पितृसत्तातक सामाजिक सोच, सांसकृतिक विचारधारा, समाज के नियम व मानसिकता सभी मिलकर व्यवहार मे भेद कायम करते है। 21वीं0 सदी के भारत मे ऐसा माना जा रहा है कि स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी परम्परागत विचारधारा बदली है। परन्तु अगर इसका व्यवहारिक पक्ष देखे तो अब भी स्त्रीयों संवेदनाहीन व्यवहार जारी है।

भारत मे कन्या भ्रूण हत्या प्रमुख कारण निम्नलिखित है –

1. पितृसतात्मक समाज तथा लिंग के आधार पर भेद
2. महिलाओं में प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा आर्थिक निर्भर महिलाओं का कम प्रतिशत
3. अशिक्षा, रूढ़िवादी सोच इज्जत–सम्मान के नाम पर हत्याएं।
4. महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, यौन शोषण, यौन अपराध, बलात्कार
5. विवाह मे बढ़ते दहेज के रिवाज़ की समस्या
6. सस्ती तकनीक व लिंग परिक्षण तकनीक की सुलभता
7. चिकित्सकों का व्यवसायीकरण

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सुझाव

कानून को व्यवहारिक रूपमें कियान्वित करते हुए निम्न उपायों द्वारा समाज कें मानसिकता में सुधार किया जा सकता है:–

1. समाज के लिए महिलाये महत्वपूर्ण है। परन्तु कन्या भ्रण हत्या जैसी समस्या से महिला अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। समाज मे इस समस्या के प्रति जन जागृति के लिए नुक्कड नाटक, परिचर्चा, प्रदर्शनी, कार्यषाला, सेमीनार आदि का आयोजन करना होगा।
2. समाजिक व्यवस्था में व्याप्त भेद–भाव के समाप्त करने के लिये महिलाओ की समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति को सुदृढ करना होगा।
3. उनमें व्यवसायिक शिक्षा व षारीरिक शिक्षा को बढावा देना होगा।
4. महिला षौर्य गाथाओं को पाठ्यकम में शामिल करना होगा जिससे महिलाओ मे आत्मगौरव की भावना विकसित हो और पुरूष समाज के मन मे भी उनके प्रति भोग के भाव की जगह सम्मान का भाव जाग्रत हो।
5. दहेजप्रथा तथा बाल विवाह को समाप्त कर सामूहिक विवाह का आयोजन ।
6. चिकित्सको को अपनी व्यवसायी मानसिकता से उपर उठ कर कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
7. लिंग आधारित गर्भपात के अधिकार को गर्भपात के अधिकार से अलग रखना।
8. दहेज विरोधी विचारधारा कायम करनी होगी।
9. माता पिता को पुत्र के समान पुत्री को भी सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनाना होगा।
10. कन्या के लिए अनिवार्य शिक्षा, छात्रावास, भोजन आादि की व्यवस्था मुफ्त की जानी चाहिये।
11. महिला शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के प्रयास केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा किये जाने चाहिये।
12. भ्रूण परीक्षण कर कन्या–हत्या करने वाले डॉक्टरो व स्वास्थ कर्मियों व इस प्रणाली से जुडे लोगों के बीच साठ गााठ के खिलाफ सख्त कार्यवाही के प्राावधन व आवष्यक हो, इसे मानव हत्या की श्रेणी में रखकर सजा के समोचित प्रावधान किये जाये।.

निष्कर्ष

गिरते लिंग अनुपात को बडाने के सरकार सारे प्रयास असफल हुये है बागपत जिले का लिंग अनुपात बडने के बजाये 0.283 प्रतिशत गिरा है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में वेष्यागमन, व्यभिचार, बलात्कार, समलैगिकता आदि समस्याये आयेगी। मनुष्य का सामाजिक व नैतिक पतन हो जायेगा तथा समाज सिफलिस, गनोरिया, एड्स आदि रोग समाज में तेजी से फैलेगे। बाल – विवाह का प्रचलन बढेगा जो आने वाले 20 वर्ष मे एक अकाटय समस्या का रूप ले लेगा उस समय महिला सुरक्षा करपाना सरकार व परिवार दोनो के लिए कठिन हो जायेगा महिलाओं के प्रति अपराध और अधिक होने लगेगे। निःसन्देह घटतां लिंगानुपात गंभीर चिंतन का विषय है। समस्या की जटिलता भयावयता इसके परिणाम न सिंफ सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक ताने–बाने के छिन्न– भिन्न करने वाली बल्कि राष्टीय सोच व षर्म का विषय है। आवष्यकता है कि समस्या निवारण हेतु बहु स्तरीय व प्रष्ठभूमि विषेष आधारित कदम उठाये जाये तथा गैर–समझौतावादी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किये जाये।

समाज को सोचना चाहिए आखिर कब तक हम बेटों की चाहत मे बेटों को जन्म देने वाली बेटी को कत्ल करते रहेंगे अगर अब भी समाज नही सुधरा तो पहले महिला का अस्तित्व फिर स्वतः ही सम्पूर्ण मानव जाती का अन्त हो जायेगा।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *पी0 सिंह ,समाज षास्त्र अवधाराएँ एंव सिद्धान्त 2013 तृतीय संस्करण जे0 पी0 पृ 553।*
2. *पी0 सिंह ,समाज षास्त्र अवधाराएँ एंव सिद्धान्त 2013 तृतीय संस्करण जे0 पी0 पृ 553।*
3. *पी0 सिंह ,समाज षास्त्र अवधाराएँ एंव सिद्धान्त 2013 तृतीय संस्करण जे0 पी0 पृ 554।*
4. *डी0 के0 षरण, नारी सषक्तिकरण का इतिहास, क्लासिकल पब्लिषिगं कम्पनी नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2012, पृ 21।*
5. *श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव, श्रीमती आशा श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानाधिकार, अजुन पब्लिषिंग हाउस,प्रथम संस्करण, 2004, पृ 6।*
6. *पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढ शिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान*

राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 22।

7. पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढ शिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 22।
8. पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढ शिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 23।
9. स्नेहा लता टंडन, रेणु षर्मा भारत मे कन्या भ्रूर्ण हत्या और भ्रूर्ण हत्या; एक विष्लेषण बालिकाओं के प्रति अपराध, आपराधिक न्याय विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम 1 अंक 1 जनवरी 2006।
10. डी आर कविता कोरिया, सुश्री मेधा षर्मा, डॉ. दर्षन नागर , सुश्री विनीता यादव महिला फिटनेस और इन्फैंटिसिड; एक शिक्षा, इंटरनेषनल जर्नल ऑफ सोषल साइंस इंड इंटरडिषनलरी रिसर्च आईजेएसएस आई आर वॉल्यूम 2, 5 मई, 2013।
11. डाँ लक्ष्मी देवी यब्रा, कन्या भ्रूर्ण हत्या और तकनीकी चुनौतियो की समस्या, अकादमिक अनुसंधान और विकासके अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, अक 3, 2018।
12. उत्तर प्रदेश जनगणना, 2011।

13 पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढ शिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 25।

14 पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढशिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या–मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 25।

15 पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढशिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 26।

16 पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढशिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 26। अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई।

17 aaaccessofjustice.blogpot.in/2013/08/blog-post-692.html.

18 aaaccessofjustice.blogpot.in/2013/08/blog-post-692.html.

19 पुष्पेन्द्र सोलंकी, प्रौढशिक्षा, प्रौढ, सतत एंव आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूण हत्या– मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विषेश संदर्भ में) 57 अकं 3–4, 2013, अप्रैल– मई पृ 27।